डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 23 ● भोपाल ● 1-15 मई, 2018 ● पृष्ठ 8 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

वन उत्पादों का बाजार मूल्य कम होने पर सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी

मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्राहक उर्मिला और पार्वती को पहनाई चप्पल

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वन उत्पादों का बाजार में कम मूल्य होने पर सरकार समर्थन मूल्य पर उत्पाद को खरीदेगी। तेन्दूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी 1250 से बढ़ाकर दो हजार रूपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है। समर्थन मूल्य पर महुआ फूल एवं गुल्ली की संग्रहण दर 14 रू. से बढ़ाकर 30 रू. प्रति किलो की गई है। अचार गुठली की 100 रू. प्रति किलो मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सीधी जिले में कुसमी तहसील के तमसार में तेन्दूपत्ता संग्राहक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को ऑनलाईन ढाई करोड़. का बोनस वितरण किया।

श्री चौहान ने विधानसभा क्षेत्र धौहनी में 166 स्व-सहायता समूहों के 1992 परिवारों, 118 स्व-सहायता समूहों के ग्राम संगठनों को एक करोड़ 14 लाख 70 हजार की राशि का वितरण किया। इसके अलावा, उज्ज्वला योजना में एक हजार महिलाओं को गैस कनेक्शन, 1291 व्यक्तियों को भू-अधिकार-पत्र एवं राजस्व पट्टे, हितग्राही मूलक योजनाओं के 20 हजार 474 हितग्राहियों को 47 करोड़ 35 लाख से ज्यादा के हितलाभ प्रदान किये।

सीधी जिले के लुरघुटी समिति की तेन्दूपत्ता संग्राहक उर्मिला बैगा और पार्वती पनिका के पैरों में अब छाले नहीं पड़ेंगे। उनको जंगल में साफ और ठण्डा पानी पीने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन संग्राहकों को अपने हाथों से चप्पल पहनाई और साड़ी तथा पानी की बॉटल भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में चरण-पादुका योजना का शुभारम्भ सीधी जिले के टंसार से किया। इस योजना से सीधी जिले के 62 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब महुआ का फूल, साल का बीज, अचार की गुठली बीनने वाले, फसल काटने वाले, गिट्टी तोड़ने और हम्माली करने वाले, ढाई एकड़ से कम जमीन वाले किसान सहित सभी असंगठित श्रमिकों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ दिया जायेगा। हर गरीब को जमीन मिलेगी। वन-भूमि पर पुराने कब्जाधारियों को वनाधिकार पट्टे दिये जायेंगे। हर पट्टाधारी को मकान बनाने के लिये प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना में वित्तीय सहायता दी जायेगी।

श्री चौहान ने कहा कि अब श्रमिक परिवार में गर्भ में बच्चा आने पर 6 माह से 9 माह के बीच पर उनकी माँ के खाते में 4 हजार रूपये की राशि ट्रांसफर की जायेगी। बेटी/बेटा के जन्म पर 12 हजार रूपये अलग से दिये जायेंगे। श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से उच्च शिक्षा तक की पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। उन्होंने बताया कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये हर गॉव में 5-5 लोगों की समिति भी गठित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष से स्कूल ड्रेसों की सिलाई का काम आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही पोषण-आहार भी फेडरेशन बनाकर स्व-सहायता समूह की महिलाएँ बनायेंगी।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती रीती पाठक, विधायक श्री कुँवर सिंह टेकाम, श्री केदार नाथ शुक्ल, विध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अभ्युदय सिंह और राज्य वन लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री महेश कोरी उपस्थित थे।

सहकारी समितियों की प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे

महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारी समितियों की महिलाओं को सिलाई, बुनाई और अन्य ट्रेड का प्रशिक्षण दिलाने के साथ-साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्री सारंग ने भोपाल में आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह बात कही।

राज्य मंत्री ने कहा कि शुरूआत में तीन सहकारी समितियों में 300 महिलाओं को जोड़ा गया है। इनको तीन माह का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षार्थियों को स्टायफंड मिलेगा और प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण-पत्र दिये जाएंगे। सहकारी समितियों की महिलाओं द्वारा तैयार सामग्री के विपणन की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और गृह उद्योग का प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

सहकारिता से अन्त्योदय

प्रदेश में सहकारिता विभाग प्रमुख रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान एवं प्रगति के लिए कार्यरत है। प्रदेश में 40,902 सहकारी समितियां विभिन्न वर्गों के अंतर्गत पंजीकृत हैं जो अपने सदस्यों को संगठित कर विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से सदस्यों के आर्थिक उन्नयन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

सहकारिता से अन्त्योदय

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के पूर्ण रोजगार के सिद्धांत के तहत सहकारिता विभाग ने समग्र ग्रामीण विकास की अवधारणा तैयार की है, जिसको नाम दिया है ''सहकारिता से अंत्योदय।''

ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकने, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए परम्परागत ग्रामीण व्यवसायों उद्यानिकी, पशुपालन, खाद्य–प्रसंस्करण, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण क्षेत्र के श्रम का सदुपयोग कर ग्रामीण क्षेत्र में ही राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि कर ग्रामीण जनों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के 44 जिले के 189 विकासखण्डों में सर्वेक्षण उपरांत 65 उद्योगों का चयन किया गया है। प्राथमिक चरण में 9 जिलों होशंगाबाद, मंदसौर, मुरैना, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, रायसेन, देवास, धार एवं अलीराजपुर को चिंहित कर संस्थाओं का पंजीयन एवं उद्योग की स्थापना की जा रही है। रायसेन के बरेली में टमाटर के प्रसंस्करण तथा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संस्था पंजीयन किया गया है। तथा बैतूल जिले में 3 गृह उद्योग सहकारी समिति बनाकर 650 महिलाओं को रोजगार देते हुए ताप्ती वाशिंग पाउडर का उत्पादन आरंभ हो चुका है।

सहकारिता में नवाचार

प्रदेश में सहकारिता ने अनेक नवीन क्षेत्रों में प्रवेश कर अब तक 332 संस्थाएं पंजीकृत की गयी हैं। इनमें पर्यटन 31, परिवहन 20, ई–रिक्शा 15, जैविक कृषि 46, भण्डारण 02, श्रम ठेका 54, कड़कनाथ मुर्गा 20, रहवासी 75, समाजिक वानिकी/उद्यानिकी 31, सेवा प्रदाता 30 एवं अन्य 08 शामिल है।।

सिंगरौली के पावर प्लांट के विस्थापितों हेतु 147 श्रम ठेका द्वारा 363 कृषकों को रोजगार दिया गया है। धार में 9 संस्थाओं में कियोस्क केन्द्र प्रारंभ हो चुके है। सहकारी संस्थाओं ने पर्यटन क्षेत्र में पातालकोट एवं तामिया में एडवेंचर तथा आदिवासी लोक संस्कृति–कला संबंधी संस्था तथा रीवा, बैतूल, मांडू आदि में पर्यटन कार्य प्रारंभ किया गया है। देश में सर्पों के विष को एकत्रीकृत कर औषधि उपयोग के साथ सर्पों के संरक्षण हेतु रूद्ध सर्प विष विकर्षण सहकारी संस्था भोपाल संभाग में पंजीकृत की गयी है।

राज्य सहकारी संघ द्वारा कौशल दक्षता विकास

देश में म.प्र. राज्य सहकारी संघ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण देने वाली प्रथम सहकारी संस्था है। योजना द्वारा 2000 विक्रेताओं के प्रशिक्षण की स्वीकृति के विरूद्ध 1818 को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षण केन्द्रों में 30600 प्रतिभागियों के लक्ष्य के विरूद्ध 36092 को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सहकारी संघ गठन की योजना के तहत 15100 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 25825 को प्रशिक्षित। 51 जिला स्तर पर कार्य शालाओं में 2897 कृषकों को उर्वरक पर प्रशिक्षण दिया गया है।

विभागीय गतिविधियों का डिजिटिलाईजेशन

एन.आई.सी. की मदद से ई–कॉपरेटिव वेव पोर्टल पर विभागीय न्यायालयों का समग्र कम्प्यूटरीकरण कर प्रकरणों की जानकारी, निर्णय एवं कॉजलिस्ट ऑनलाईन की गयी है। कड़कनाथ मुर्गा संस्थाओं के विपणन हेतु मोबाईल–एप जारी किया जा चुका है। विभागीय ई–कॉपरेटिव पोर्टल को 2017–18 में स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सहकारिता से महिला सशक्तिकरण

प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक संवर्धन हेतु उक्त महिलाओं की 50,000 प्राथमिक एवं 3,000 संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्थाओं के उपनियम बनाकर उनके पंजीयन का मार्ग प्रशस्त किया गया है जिससे प्रदेश की लाखों ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी।

कालातीत कृषकों के हित में ऋण समाधान योजना

प्रदेश के 18 लाख कालातीत कृषकों को 13 प्रतिशत ब्याज के भार से मुक्त करने हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज एवं अन्य सुविधाऐं हेतु ऋण समाधान योजना बनायी गयी है।। योजनांतर्गत 50 प्रतिशत मूल्य ऋण राशि जमा करने पर संपूर्ण ब्याज माफी तथा पात्रता अनुसार किसान नवीन ऋण के पा हो सकेंगे । योजना हेतु बजट में रूपये 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पावधि फसल ऋण

वर्ष 2012–13 से पैक्स के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2003–04 में रूपये 1273.98 करोड़ ऋण वितरण को बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में 12472 करोड़ फसल ऋण वितरण जो गत वर्ष से रूपये 1200 करोड़ अधिक है। वर्ष 2006–07 से 2016–17 तक रूपये 2894.87 करोड़ ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा निर्गमित, वर्ष 2017–18 हेतु रूपये 560 करोड़ की ब्याज सहायता संभावित है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

प्रदेश के समस्त बैंकों द्वारा कुल 83.65 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये इसमें सहकारी बैंकों द्वारा 57.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। इस तरह सहकारी बैंकों की भागीदारी 68.95 प्रतिशत है।

सहकारिता भारतीय जीवन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केन्द्रीय तत्व रहा है। उसके आधार पर अर्थनीति की पुनर्रचना का प्रयास करना चाहिए। किन्तु यह आवश्यक है कि सहकारी समितियां स्वभाविक रूप से विकसित हों।

– पंडित दीनदयाल उपाध्याय

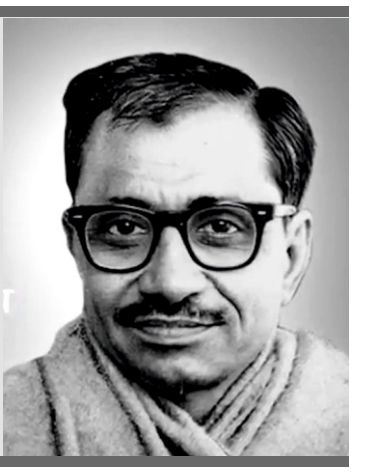

कृषक सम्मान मित्र योजना

प्रदेश में नियमित ऋण की अदायगी करने वाले कृषकों को अदायगी अवधि के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मानित करने की योजना है। योजनांतर्गत पात्र कृषकों को वृद्ध कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर सम्मानित कर ताम्र पट्टिका तथा प्रमाण पत्र के साथ साल श्रीफल से सम्मान किया जाता है। राज्य स्तर पर 11 तथा जिला स्तर पर सैकड़ों कृषकों को सम्मानित किया गया है।

अल्पकालीन ऋणों का मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अल्पावधि फसल ऋण को मध्यावधि ऋण में परिवर्तन किया जाता है। वर्ष 2018–19 में रूपये 233 करोड़ ब्याज अनुदान हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

डिजिटल मेम्बर रजिस्टर

पैक्स द्वारा किसानों को वितरित फसल ऋण की पारदर्शिता एवं सुगमता के लिए जिला सहकारी बैकों में शाखा स्तर पर डिजिटल मेम्बर रजिस्टर संधारित किया जा रहा है।। इनमें

प्रदेश के 22.30 लाख कृषकों के ऋण खातों का संधारण हो चुका है। इससे किसानों को होने वाली कठिनाईयों, शिकायतों एवं अनियमिताओं को रोका जाकर प्रत्येक लेन–देन की जानकारी कृषक को एसएमएस से उपलब्ध होगी।

बीज संघ

प्रदेश में 2523 बीज उत्पादन समितियां है। इनके द्वारा 10.58 लाख क्विंटल बीज उत्पादित कर प्रदेश के बीज उत्पादन में 74 प्रतिशत योगदान दिया है।

समर्थन मूल्य पर उपार्जन

प्रदेश में गेंहू एवं धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जनएवं भावांतर हेतु कृषकों का पंजीयन सहकारी संस्थाओ के स्तर से किया गया है। वर्ष 2017–18 में 2976 खरीदी केन्द्रों पर 7.39 लाख कृषकों से रूपये 10928.24 करोड़ का गेंहू उपार्जन तथा 1122 खरीदी केन्द्रों पर 2.82 लाख किसानों से रूपये 2571.46 करोड़ का धान उपार्जन।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना

वर्तमान में 16 जिलों में परियोजनाऐं संचालित है शेष 3 जिले डिंडोरी, दतिया एवं दमोह की परियोजना स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। 31 राजस्व जिलों में 26 परियोजनाएं पूर्ण की गयी है। इन जिलों में नये सिरे से परियोजनाओं का दूसरा चरण प्रारंभ करना विचाराधीन है। वर्ष 2018–19 के बजट में रूपये 65 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ

रचना नगर में 6.16 एकड़ भूमि पर बहुमंजिला आवासीय योजना माननीय सांसदों एवं विधायकों के लिए रूपये 176 करोड़ की लागत से 12 मंजिला भवन में 368 प्रकोष्ट निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत 1000 मिट्रिक टन के गोदाम निर्माण का कार्य में से 100 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण, 32 गोदाम निर्माणाधीन, 100 टन के 18 गोदाम पूर्ण तथा 6 निर्माणाधीन है। तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 10 आई.टी.आई. रूपये 188 करोड़ की लागत से निर्माण प्रक्रियाधीन है। आवास संघ ने 5 वर्ष से अधिक के कालातीत ऋण वसूली हेतु एक मुश्त समझौता योजना लागू की है।

दुग्ध उत्पादन

दुग्ध उत्पादन व्यवसाय (डेयरी) कृषक जीवन का अभिन्न अंग है।सहकारिता क्षेत्र में डेयरी संचालन एवं विकास हेतु म.प्र. राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ कार्यरत है जिसके क्षेत्रीय दुग्ध संघों के अंतर्गत लगभग6612 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है जिनसें 3. 32 लाख प्रदायक, जिसमें 92 हजार महिलाएं जुड़ी है। वर्तमान में 6 दुग्ध संघों के माध्यम से 8.89 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन तथा 7.41 लाख लीटर दुग्ध विक्रय किया जा रहा है। सांची ब्राण्ड के नाम से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादो के विक्रय में उल्लेखनीय प्रगति हुई– वर्ष 2015–16 में कुल व्यवसाय 264.61 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2016–17 में 1710.77 करोड़ हो गया है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ

प्रदेश में कृषि आदान हेतु विपणन संघ नोडल ऐजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ 2003–04 में 7.97 लाख टन उर्वरक वितरणकर्ता था जो 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक 20.50 लाख टन उर्वरक वितरण कर चुका। इसकी प्रदेश में रासायनिक खाद वितरण में सहकारिता की 60 प्रतिशत भागीदारी है।

वनोपज

प्रदेश में वनोपज एवं तेंदूपत्ता के संग्रहण, विपणन व वन औषधियों के प्रसंस्करण उपरान्त औषधि निर्माण के लिए राज्य सहकारी वनोपज संघ 60 लघु वनोपज संघों के माध्यम से कार्यरत है। प्रदेश में 1072 प्राथमिक लघु वनोपज समितियां संचालित हैं जिनका वार्षिक व्यवसाय लगभग रूपये 1375 करोड़ हैं। तेंपूपत्ता श्रमिकों के लिये इस वर्ष से तेंदूपत्ता तुड़ाई की दर 1200 रूपये से बढाकर 2000 रूपये कर दी गई हैं। तेंदूपत्ता संग्राहक महिला श्रमिकों को चरण–पादुका और पानी को ठण्डा रखने वाली कुप्पी के साथ साड़ी भी दी जा रही है।

महुआ फूल बीनने वालों को भी मिलेगी चरण पादुका : श्री चौहान

सिंगरौली (सरई) में हुए तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली के सरई में तेंदूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन में वन क्लिक से 2 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खाते में सीधे 26 करोड़ रुपये का तेंदूपत्ता बोनस हस्तांतरित किया। श्री चौहान ने सवा लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण-पादुकाएँ एवं पानी की बोतल दी और हितग्राहियों को वनाधिकार-पत्रों का वितरण किया। उन्होंने संग्राहक कलावती तथा दिगपाल को स्वयं चरण-पादुकाएँ पहनाईं।

श्री चौहान ने सरई में बायपास निर्माण और आईटीआई खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण की मजदूरी में भी वृद्धि की गई है। अब एक मानक बोरा के लिये 1250 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि महुआ फूल बीनने वालों को भी चरण-पादुकाएँ दी जायेंगी। श्री चौहान ने हर पात्र व्यक्ति को वनाधिकार-पत्र का लाभ देने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली जिले में 4 लाख से अधिक श्रमिकों का राज्य शासन की योजना में पंजीयन हुआ है। इन्हें शिक्षा, उपचार और प्रसूति सहायता सहित अन्य योजनाओं में सहायता दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि कच्चे मकान और झोपड़ी में रहने वाले श्रमिकों को अगले 4 साल में पक्के मकान बनवाकर दिये जायेंगे। इस योजना में सिंगरौली को हर वर्ष 17 हजार से अधिक आवास मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के 56 हजार परिवारों को सौभाग्य योजना में अक्टूबर माह तक नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। गरीब व्यक्ति को अब सिर्फ 200 रूपये प्रतिमाह फ्लेट रेट पर बिजली का बिल देना होगा।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिये मध्यप्रदेश को मिला एनक्यूएएस अवार्ड

भोपाल। केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने नई दिल्ली में मध्यप्रदेश की टीम को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य की ओर से यह पुरस्कार स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस समिति के डॉ. पंकज शुक्ल, डॉ.विवेक मिश्रा और श्रीमती जूही जायसवार ने ग्रहण किया। केन्द्रीय मंत्री श्री चौबे ने सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल को भी पुरस्कृत किया।

रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार के नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस मापदण्ड के अनुरूप प्रदेश में क्वालिटी एश्योरेंस सेल का गठन किया गया है। राज्य, संभाग और जिला स्तर पर गठित समितियां विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा कर अस्पताल की गुणवत्ता बढ़ाती हैं। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और संस्थाओं के उन्नयन के लिये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टेण्डर्ड के तहत सेवा प्रदायगी, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, रोगी के अधिकार, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सहायक सेवायें गुणवत्ता सेवा प्रबंधन और आउट कम विकसित कर सेवायें दी जाती है। गुणवतापूर्ण सेवा देने के लिये कर्मचारियों का सतत् पशिक्षण भी होता है।

लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर योजना में संशोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर भुगतान योजना में संशोधन किया है। अब यदि किसान का लहसुन 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर भी बिकता है, तो भी उसे भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस संबंध मे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा के संभागायुक्तों तथा भोपाल, सीहोर रायसेन, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना जिलों के कलेक्टरों को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन संबंधी भावांतर योजना निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

राज्य शासन ने 9 अप्रैल 2018 को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। यदि 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर लहसुन बिकता, तो उसकी गुणवत्ता को निम्न मानते हुए भावांतर योजना का लाभ नहीं देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार किसानों के हित में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।

जबलपुर में सहकारी प्रशिक्षण की गतिविधियां

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा पिछले दिनों बंडोल एवं लुहारी में सदस्य वर्गों का आयोजन किया गया जिसमें सहकारी समिति का गठन, कार्यप्रणाली, विधान एवं लेखाकर्म से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

केन्द्र के व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे ने सिवनी जिले के बण्डोल में सेवा सहकारी समिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री बर्वे ने राज्य सहकारी संघ की प्रशिक्षण गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सहकारिता व सहकारी विधान के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। संस्था के प्रबंधक श्री सुनील साहू ने अपने उद्बोधन में सेवा सहकारी समिति की कार्यप्रणाली का उल्लेख किया।

इसी प्रकार केन्द्र जबलपुर के सहकारी प्रशिक्षक श्री रितेश कुमार ने सेवा सहकारी समिति लुहारी जिला जबलपुर में सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सदस्यों व संचालकों के अधिकार व कर्त्तव्य के विषय में बतलाते हुए सहकारी लेखांकन एवं अंकेक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के अन्त में आभार व्यक्त समिति के प्रबंधक श्री मदन दुबे द्वारा किया गया।

समर्थन मूल्य से अधिक पर गेहूं बिकने पर भी मिलेगी निर्धारित राशि : मुख्यमंत्री

किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत दिलाने के लिये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना लागू की गई है। इसमें समर्थन मूल्य पर अथवा उससे अधिक मूल्य पर गेहूँ बिकने पर 265 रूपये प्रति क्विंटल, चना, मसूर, सरसों पर 100 रूपये प्रति क्विंटल तथा लहसुन पर 800 रूपये प्रति क्विंटल किसान के खाते में डाले जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान यहाँ शाजापुर में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 10 लाख 21 हजार किसानों के बैंक खातों में 1669 करोड़ रूपये ऑनलाईन डाले गये। यह राशि गेहूँ उपार्जन वर्ष 2016-17 और धान उपार्जन वर्ष 2017 पर 200 रूपये प्रति क्विंटल की दर से दी गयी।

षड़यंत्रों से सावधान रहें किसान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के विविधीकरण के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि उत्पाद के निर्यात के लिये इसी वर्ष राज्य स्तरीय संस्था बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर किसानों का हक है। किसानों की समस्याओं के नाम पर राजनीति नहीं की जाना चाहिये। किसान इस तरह के षड़यंत्रों से सावधान रहे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में नगदी की कमी पैदा की जा रही है, इससे राज्य सरकार निपटेगी। किसानों को कोई भी दिक्कत हो तो मुख्यमंत्री निवास पर स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नम्बर-0755-2540500 पर फोन करें। श्री चौहान ने कहा कि खेती किसानी में प्रदेश को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार के साथ सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को विकसित राज्यों में अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया।

खसरे की निःशुल्क कॉपी मिलने पर ही प्रकरण समाप्त होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों के बेटे-बेटियों को उद्योग लगाने के लिये दो करोड़ रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस ऋण की गारंटी राज्य सरकार लेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रत्येक विकासखंड में 100-100 युवाओं को ऋण दिलाया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलाये गये विशेष अभियान में तीन माह में नामांतरण और बंटवारे के 14 लाख प्रकरण निपटाये गये हैं। अब नामांतरण के आदेश के बाद खसरा और नक्शे की नकल की कॉपी संबंधित किसान को निःशुल्क दी जायेगी। तब ही प्रकरण समाप्त माना जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये यदि किसान ट्रान्सफार्मर लाते हैं, तो विद्युत कंपनी द्वारा इसका किराया दिया जायेगा। बदलने के बाद ट्रांसफार्मर अगर तीन माह के भीतर जल जाता है, तो बिना बकाया राशि लिये उसे फिर बदल दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना में ढाई एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को शामिल किया गया है। डिफाल्टर किसानों के लिये नई योजना बनाई गई है, जिसमें ब्याज राज्य सरकार भरेगी और मूलधन का आधा किसान द्वारा दिये जाने पर उसे शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष भावांतर भुगतान योजना में किसानों के खाते में दो हजार करोड़ रूपये की राशि डाली गयी है।

जो किसानों ने भी नहीं सोचा, वह कर रही है सरकार

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को सुविधाएं देने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जायेगी। जो किसानों ने भी नहीं सोचा, वह भी सरकार कर रही है। उन्होंने जनता को याद दिलाते हुये कहा कि पूर्व की सरकार के समय किसानों को 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलता था, जिसे घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है। खाद के अग्रिम भंडारण पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि पहले ढाई हजार रूपये प्रति हेक्टयर थी, जिसे बढ़ाकर 30 हजार रूपये प्रति हेक्टयर कर दिया गया है। एक वर्ष में किसानों को 18 हजार करोड़ रूपये की राहत दी गई है। प्याज के दाम गिरने पर रा%य सरकार ने 800 रूपये प्रति क्विंटल के भाव पर प्याज खरीदी की थी इसके लिये 650 करोड़ रूपये खर्च किये गये। सिंचाई की क्षमता प्रदेश में साढ़े सात लाख हेक्टयर से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टयर कर दी गयी है। सिंचाई के लिये बिजली की समुचित व्यवस्था की गई है। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिये रा%य सरकार द्वारा हर-संभव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं का निम्नानुसार उल्लेख किया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री श्री दीपक जोशी, विधायक श्री श्री अरूण भीमावद, रा%य ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री रमाकांत भार्गव, सांसद श्री मनोहर उंटवाल, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में है किसान एवं श्रमिक हितैषी सरकार : श्री सारंग

राज्य मंत्री ने झाबुआ जिले में किया जन-समस्याओं का निराकरण

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने प्रभार के जिले झाबुआ में नागरिकों की समस्याएं सुनी और मौके पर उनका निराकरण भी करवाया। श्री सारंग ने आदिवासी विकास विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर कलेक्टर झाबुआ को तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील में सड़क निर्माण में लापरवाही की शिकायत और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री की अनुपस्थिति पर श्री सारंग ने जांच कराने और कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा। राज्य मंत्री ने गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हेंडपंप खनन का रोड़ मैप तैयार कर खनन कार्य करवाया जाए। खनन की जानकारी जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाए।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए.
स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

किसानों की फसल कम दाम पर नहीं बिकने देंगे

मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की फसल को कम दाम पर नहीं बिकने दिया जायेगा। किसानों को उनके कृषि उत्पाद की उचित कीमत दिलवाई जायेगी। यदि बाजार में किसानों की फसलों के दाम कम होंगे, तो नुकसान की भरपाई रा%य सरकार करेगी। राज्य में चाहे प्राकृतिक आपदा का मामला हो अथवा कोई अन्य कारण राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय वारासिवनी में किसान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस मौके पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 72 हजार किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन क्लिक कर 57 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर 419 करोड़ रुपये लागत के 201 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य के लिए 18 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मिला करता था। अब किसानों को जीरों प्रतिशत से भी कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसानों को 57 करोड़ रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में बँटेगी। लेकिन राज्य सरकार ने यह कर दिखाया है। श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष गेहूँ एवं धान का विक्रय किया है, उन्हें 1700 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि बाँटी जा रही है। इस वर्ष जो किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय कर रहे हैं, उन्हें 265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री कृषक ऋण समाधान योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का ऋण कालातीत हो चुका था और जिन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ नहीं मिल रहा था, राज्य सरकार ने उनके लिए भी योजना तैयार की है। ऐसे किसानों का ऋण ब्याज माफ कर दिया गया है। ऐसे किसानों को मूल धन की आधी राशि जमा करनी होगी। शेष आधी राशि का समायोजन शून्य प्रतिशत ब्याज पर लिये जाने वाले ऋण में कर दिया जायेगा। बालाघाट जिले में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें 12 करोड़ रूपये की राहत राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि यदि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उन्हें दी जाने वाली सहायता राशि 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टर कर दी गई है और ऐसे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ता श्रमिकों की मजदूरी दर 1250 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। समर्थन मूल्य पर महुआ फूल की खरीदी की व्यवस्था की गई है। तेंदूपत्ता तोड़ने वाले पुरूष एवं महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए भी योजना बनाई गई है, जिसमें पुरूष श्रमिक को जूते (चरण पादुका) और पानी की कुप्पी एवं महिला श्रमिक को चप्पल, पानी की कुप्पी और साड़ी प्रदाय की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई योजना की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 36 प्रकार की विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना तैयार की है। अब ढ़ाई एकड़ तक की खेती की जमीन वाले किसानों को भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर पाँच लोगों की समिति बनाई जायेगी। यह समिति तय करेगी कि सही व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिले। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अगले माह एक लाख नौकरियाँ निकालने जा रही है। इन नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। पुलिस की भर्ती में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने संविदा व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

किसानों के लिये बजट में 20 हजार करोड़ की व्यवस्था

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिये बजट में 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहुँचाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर में 516 करोड़ 11 लाख की लागत की छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के शिलान्यास और किसान सम्मेलन में दी। श्री चौहान ने 21 करोड़ 69 लाख की लागत की समूह नल-जल योजना तथा 2 करोड़ की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का भी लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की खेती से आय बढ़ाने के लिये ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा रहा है। जहाँ नहरों के माध्यम से सिंचाई संभव नहीं है, वहाँ उद्वहन सिंचाई योजनाएँ बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान की मेहनत का सम्मान करती है। इसलिये किसानों के हित संरक्षण के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार ने किसानों को पिछले वर्ष बेची गई गेहूँ की फसल के लिये 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। आगामी 16 अप्रैल को शाजापुर में राज्य-स्तरीय समारोह में 10 लाख किसानों के खातों में 16 करोड़ की राशि जमा करवाई जायेगी। इसी दिन हर जिला मुख्यालय पर

किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस बार भी किसानों को मण्डियों में गेहूँ बेचने पर 265 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर भी किसान को समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मण्डी के बाहर गेहूँ और चने की बिक्री करने वाले किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि ऋण समाधान योजना में किसानों के कुल ऋण पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में अभी तक पौने दो करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीयन करवाया है। पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ, घर बनाने के लिये जमीन का पट्टा और आर्थिक सहायता तथा 200 रुपये मासिक फ्लेट रेट पर बिजली भी उपलब्ध करवायी जायेगी।

उपार्जन में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर होगी कार्रवाई : श्री चौहान

वीडियो कांफ्रेंसिंग में संभागायुक्तों, कलेक्टरों से की चर्चा

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ सम-सामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने भावांतर भुगतान योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की चर्चा करते हुए कहा कि एक हफ्ते के भीतर उन सभी किसानों के खातों में राशि पहुँच जाना चाहिये जिनमें तकनीकी कारणों के विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भुगतान में विलम्ब की स्थिति ठीक नहीं है।

व्यवधान रहित गेहूँ उपार्जन के लिये कलेक्टरों को बधाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन के लिये की गई तैयारियों और बिना किसी व्यवधान के चल रहे गेहूँ उपार्जन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागीय अमले को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में किसानों की सहूलियत के लिये खरीदी केन्द्रों को उनके गाँवों के पास भी स्थापित किया जा सकता है । किसानों की संख्या कम होने पर उनकी उपज लाने के लिये परिवहन की व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खरीदी केन्द्रों पर तुलाई में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये। किसानों को ज्यादा से %यादा मदद देना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों कहा कि सोशल मीडिया पर किसानों को गुमराह करने वाले और खरीदी व्यवस्था में व्यवधान डालने के इरादे से प्रसारित संदेशों के संबंध में अत्यधिक सावधान रहें। खरीदी व्यवस्था सहित किसानों के हित में उठाये गये कदमों और उनके कल्याण के लिये बनाई व्यवस्थाओं में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

जिलों में होंगे श्रमिक कल्याण सम्मेलन

श्री चौहान ने मुख्यमंत्री असंगठित क्षेत्र मजदूर कल्याण योजना की चर्चा करते हुए कलेक्टरों से कहा कि यह सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले में श्रमिक कल्याण सम्मेलनों की तैयारी करें। पंजीकृत श्रमिकों की सूची दो मई को होने वाली ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाई जायेगी। शहरों में वार्ड सभाओं में यह सूची पढ़कर सुनाई जायेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि भूमिहीन, आवासहीन गरीब मजदूरों को जमीन का पट्टा देने की सभी औपचारिकताएँ पूरी कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के पंजीयन में सभी दस्तावेज स्व-प्रमाणित मान्य किये जायेंगे ताकि उन्हें परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल जिलों में पात्र परिवारों को वनाधिकार पट्टे हर हालत में मिल जाना चाहिये।

पेयजल संकट से निपटने की रणनीति तैयार रखें

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कम वर्षा से पैदा पेयजल संकट से निपटने की तैयारी रखें। जहाँ संकट ज्यादा हो, वहाँ परिवहन के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराने की रणनीति बनायें।

श्री चौहान ने केन्द्र सरकार के ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के संबंध में भी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंडला जिले के ग्राम रामपुर से पूरे देश को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गयी है। सभी जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में सजीव प्रसारण देखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्री चौहान ने बताया कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाये जायेंगे और स्वास्थ्य साक्षरता संबंधी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। दो मई को किसान कल्याण दिवस पर किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में ग्राम सभाओं की विशेष बैठक में चर्चा होगी। पांच मई को आजीविका और कौशल विकास दिवस मनाया जायेगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

सभी पात्र श्रमिकों को मिलेगा असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का लाभ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण मानवीय योजना है। इस योजना का समस्त पात्र श्रमिकों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने यहाँ मंत्रालय में असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये।

श्री चौहान ने कहा कि योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये लगातार मॉनिटरिंग की जाये। योजना में प्राप्त आवेदनों का ग्राम सभा में वाचन किया जाये। योजना में हितग्राही की पात्रता एक अप्रैल 2018 से ही मानी जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जायेगी। श्री चौहान ने योजना के संबंध में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।

अब तक 2 करोड़ श्रमिकों ने किया आवेदन

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में प्राप्त आवेदनों के वाचन के लिये 2 मई को ग्राम सभायें आयोजित की जायेंगी। इसके एक माह बाद दस जून को एक ग्राम सभा और आयोजित की जायेगी। श्रमिकों के पंजीयन के लिये ग्वालियर संभाग को छोड़कर अन्य सभी संभागों में आगामी 25 अप्रैल तक अभियान चलाया जायेगा। ग्वालियर संभाग में यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। ग्राम सभा में आवेदनों के वाचन के बाद जिस हितग्राही के संबंध में आपत्ति प्राप्त होगी, उसे छोड़कर

शेष हितग्राहियों को पात्र माना जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 और 4 मई को किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद और नगर पंचायत में योजना के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे।

बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रम श्री अश्विनी कुमार राय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

इंडियन कॉफी हाउस आतिथ्य और विश्वास का पर्याय

डायमंड जुबली समारोह में अतिथियों के विचार

जबलपुर। इंडियन कॉफी हाउस आतिथ्य और विश्वास का पर्याय बन गया है, आधुनिकता की चकाचौंध और व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के युग में कॉफी हाउस के स्वाद और गुणवत्ता के साथ–साथ अपने ग्राहकों के व्यंजन,नाश्ता व साउथ इंडियन डिश के लिए आज भी लोगों की पहली पसंद कॉफी हाउस ही है। इस आशय के उद्‌गार यहॉ मानस भवन में आयोजित इंडियन कॉफी हाउस के डायमंड जुबली समारोह में आये अतिथियों ने व्यक्त किये। कॉफी आउस के विकास यात्रा के 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि सांसद राकेश सिंह थे। महापौर डॉ. स्वाति गोडबोले, विधायक अंचल सोनकर, विधायक अशोक रोहाणी, विधायक तरूण भनोट के अलावा पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, संयुक्त पंजीयक सहकारिता प्रेम सागर तिवारी, पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह, प्राचार्य यशोवर्धन पाठक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर एवं समाज सेवा प्रसिद्व चिकित्सक डॉ. जीतेन्द्र जामदार विशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद थे।

कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, स्वागत भाषण संस्था की संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा सदाशिवन नायर ने प्रस्तुत करते हुए इंडियन कॉफी हाउस के 6 दशकों की विकास यात्रा को रेखांकित किया। अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष ओ.के. राजगोपालन, श्रीमती आयशा राजगोपालन, सचिव पी.डी. वर्गीस, एम. प्रकाशन, व्ही. राघुनाथन पिल्लई, व्ही. श्रीधरन पिल्लई, के.के.बालचंद्रन, के. व्ही. जयदेवन, पी.टी. हरेन्द्रन ने किया। इस अवसर पर संस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। समारोह में देशभर से आये लगभग 1 हजार अधिकारी/ कर्मचारी व उपभोक्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शरद पुंज ने एवं आभार प्रदर्शन पी.डी.वर्गीस ने किया।

खरगोन में सायबर सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन

खरगोन। सहकारिता के क्षैत्र में कम्प्यूटर, इंटरनेट व मोबाईल के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुऐं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर कार्यशालाओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जा रहा है।

इसी कड़ी में दिनांक 10 अप्रेल 2018 को उपायुक्त सहकारिता कार्यालय, खरगोन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें उपायुक्त श्री राजेश क्षत्री व अधिकारियों ने भाग लिया। दिनांक 11 अप्रेल 2018 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय, खरगोन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के प्रबंध संचालक श्री मुकेश बार्चे, बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यसामग्री भी वितरित की गई।

प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा दिया गया। जिला सहकारी संघ, खरगोन के प्रबंधक श्री ओंकार यादव का सहयोग सराहनीय रहा।

सायबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा सायबर क्राईम व उससे सुरक्षा उपाय तथा कानूनी पहलू पर दिनांक 11 अप्रेल 2018 को भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी ने कार्यक्रम को वर्तमान समय के अनुसार बहुत उपयोगी बताया। प्रशिक्षण म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा दिया गया। भोपाल को–ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल के प्रबंधक श्री आर.एस. विश्वकर्मा जी, सांख्यिकी अधिकारी श्री अरून दधिच जी सहायक मुख्य पर्यवेक्षक श्री प्रेम सिंह सोलंकी एवं समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।